



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. गैरबैंकिंग(नीप्र)252/सीजीएम(यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, सभी कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को निम्नलिखित निदेश देना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45अक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है :-

निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक (नाम) तथा उसे प्रयोग में लाना

- इन निदेशों को कोर निवेश कंपनी-विदेशी निवेश (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2012 कहा जाएगा।
- यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

iii. यह निदेश विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा विदेशी निवेश के लिए निर्धारित निदेशों के अतिरिक्त होगा।

2. सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति

i. यह निदेश सभी सीआईसी (भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत अथवा पंजीकरण से छूट प्राप्त किसी भी स्थिति में) पर लागू होंगे, जो विदेशी निवेश की इच्छा रखती है।

ii. विदेशी वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की इच्छा रखने वाली सीआईसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) धारण तथा पंजीकृत सीआईसी पर लागू सभी विनियमों का पालन करना होगा। अतः सीआईसी जिन्हें बैंक के विनियमन संरचना से छूट प्राप्त है (छूट प्राप्त सीआईसी) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए उन्हें बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा वे सीआईसी-एनडी-एसआई की तरह विनियमित होंगी।

iii. गैर वित्तीय क्षेत्र में निवेश :

सीआईसी 05 जनवरी 2011 के परिपत्र गैरबैंकिंग(नीप्र)कंपरि सं. 206/03.10.001/2010.11 के पैरा 2(बी) परिभाषित के अनुसार जिसका शीर्षक है कोर निवेश कंपनियों के लिए विनियमक संरचना।

उक्त उद्देश्य के लिए वित्तीय क्षेत्र अर्थात् वह क्षेत्र/सेक्टर जो वित्तीय क्षेत्र विनियमक द्वारा विनियमित है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi, the 14th December 2012

F. No. 5-1/2012 (CPP-II)—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 22 of UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto December 1985 and in continuation of Gazette Notification No. F. 1-52/97 (CPP-II) dated 29 May 2009, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degree for the purposes of the said section :—

Bachelor's Degree

Abbreviation	Expansion	Level	Minimum Duration	Entry qualification
B. Voc	Bachelor of Vocation	UG	3 years	10+2

AKHILESH GUPTA
Secy.